



210

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर ₹ 1000/-

पुकरण क्रमांक : /2012 निगरानी - 832-PBP/12

केदार सिंह पुत्र श्री रामरूप सिंह तोमर, आयु 60 वर्ष, निवासी चौहान धाऊ के पीछे, कृष्णावाजी नगर, थाटीपुर, मुरार, जिला ग्वालियर ₹ 1000/-

- निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्रीमती शारुतला देवी पत्नी स्व. रामरूप सिंह जाति ठाफूर, आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम बकनासा लाला का पुरा, तहसील गोहद, जिला भिंड ₹ 1000/- - असल गैर निगरानी कर्ता

2- हरी सिंह, आयु 45 वर्ष

3- सुरेन्द्र सिंह आयु 40 वर्ष,

4- गजेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष

पुत्रगण श्री रामरूप सिंह, जाति तोमर ठाफूर, निवासी ग्राम बकनासा लाला का पुरा तहसील गोहद, जिला भिंड ₹ 1000/-

- तरतीबी गैर निगरानीकर्ता

"निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. 1900 का संविधान विरुद्ध आदेश दिनांक 30-12-2011 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर पुकरण क्र. 105/11-12/निगरानी केदार सिंह विरुद्ध श्रीमती शारुतला देवी आदि । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय का प्र. क्र. 38/09-10/अपील अ. आदेश दिनांक 8-4-2011

श्री. म. शाक म. शाक
द्वारा आज दि. 5. 4. 12 को
प्रस्तुत
4
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

51412
ES

संक्षिप्त विवरण :

पुकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम

R- 832-PBR/12

Agri-MS.

29.5.17

आवेदन क्र. (A) अशोक शर्मा

दिनांक 24.5.13 से आज तक अनुपस्थित
हैं उनके कार्ड अपना लगवानी नहीं
परन्तु कोई उप. नहीं। आवेदन का
अनुपस्थिति न दिखाने में उक्त
प्रकरण अतः परी में समाप्त किया
जाता है


S. S. S.

M